

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक : संस्था-2/टंकण परीक्षा/2019/1333

दिनांक : 10/12/19

आदेश

कार्मिक क-2 विभाग के परिपत्र दिनांक 21.6.2017 की पालना में इस कार्यालय द्वारा मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के पश्चात ली जाने वाली कम्प्यूटर टंकण परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है।

क्रस	आवेदन प्राप्त होने की अवधि	माह जिसमें परीक्षा आयोजित होगी
1.	01 अगस्त से 30 नवम्बर तक	जनवरी
2	01 दिसम्बर से 31 मार्च तक	मई
3.	01 अप्रैल से 31 जुलाई तक	सितम्बर

कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 6.12.2019 द्वारा परिपत्र जारी कर राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त कार्मिकों द्वारा समय से नियमानुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने के कारण दो विशेष टंकण परीक्षाएं आयोजित करवाते हुए ऐसे कार्मिकों को दो अतिरिक्त अवसर प्रदान कर अंग्रेजी भाषा में 28 शब्द प्रति मिनिट एवं हिंदी भाषा में 24 शब्द प्रति मिनिट में शिथिलता प्रदान करते हुये अंग्रेजी भाषा में 20 शब्द प्रति मिनिट व हिंदी भाषा में 16 शब्द प्रति मिनिट मानकर उत्तीर्ण करने हेतु एक बारीय शिथिलता प्रदान की है।

अतः राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र की पालना में दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्ति ऐसे मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को दिनांक 30.6.2020 तक दो अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुये अंग्रेजी भाषा में 20 शब्द प्रति मिनिट व हिंदी भाषा में 16 शब्द प्रति मिनिट की शिथिलता प्रदान की जाकर ऐसे मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रित अपना आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2019 तक कार्यालय समय पर इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(राजीव पाण्डेय)

टंकण परीक्षा नियंत्रक
अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ
कलक्ट्रेट जयपुर

क्रमांक : संस्था-2/टंकण परीक्षा/2019/1334

दिनांक : 10/12/19

प्रतिनिधि 1. उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी कलेक्ट्रेट जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है। व एकप्रति नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई जावे।

टंकण परीक्षा नियंत्रक
अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ
कलक्ट्रेट जयपुर

0141-2209001(O) 0141-2209000(Fax) Email:- dm-jaip-rj@nic.in